

बिहार सरकार  
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या-3/सी०एस०/एम०-501/2010.....224...../पटना-15, दिनांक- 20 मई, 2014  
भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 (1) में निहित प्रावधान के अंतर्गत श्री नीतीश कुमार  
दिनांक-20.05.2014 के अपराहन के प्रभाव से राज्य के मुख्य मंत्री नहीं रहे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अशोक कुमार सिन्हा)

मुख्य सचिव

ज्ञापांक :-3/सी०एस०/एम०-501/2010 .....224..... पटना-15, दिनांक .....20 मई, 2014

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/सभी मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-3/सी०एस०/एम०-501/2010 .....224..... पटना-15, दिनांक .....20 मई, 2014

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन/विकास भवन/विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-3/सी०एस०/एम०-501/2010 .....224..... पटना-15, दिनांक .....20 मई, 2014.

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के प्रधान सचिव